हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
शाखा पताः ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा–201301

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 27–फरवरी–2026 (नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई–नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी की बोली फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, जिसे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालय: ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा–201301 में 26–फरवरी–2026 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

ऋण खाता सं	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि	आधिपत्य का प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
		तिथि के अनुसार राशि		
HHFMSPHOU 21000017660	मुकेश कुमार, सुशीला देवी	18/05/2026 21/01/2026 के अनुसार रु 11,57,865.00/–	भौतिक	रु 8,90,000/– / रु 89,000/–

सम्पत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर यूजीएफ –2, एमआईजी, ऊपरी भूतल , बिना छत के अधिकार के, बाईं ओर, जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो टॉयलेट, एक किचन और एक बालकनी है, जिसका कुल कवर्ड एरिया 600 वर्ग फुट यानी 55.74 वर्ग मीटर है। यह प्लॉट नंबर एफ–82, खसरा नंबर 181, ब्लॉक– एफ, एसएलएफ वेद विहार, हदबस्त ग्राम सहूलाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102 (एस/पी +यूजी+2) पर निर्मित है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व, दूसरे की सम्पत्ति, पश्चिम 9 मीटर चौड़ी सड़क (फ्लैट पर), उत्तर: प्लॉट नंबर एफ–91, दक्षिण: सीढ़ियाँ/दूसरे का फ्लैट/प्लॉट नंबर एफ –93

नियम एवं शर्तें: ई–नीलामी पोर्टल https://bankeauctions.com के माध्यम से 27–फरवरी–2026 (ई–नीलामी तिथि) को पूर्वा.11.00 बजे के बाद 10 मिनट प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ होगी। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी। ई–नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें: 1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ है के आधार पर" और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन" आयोजित किया जा रहा है। 2. बोली वृद्धि राशि रु.15,000/– (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) होगी। 3. ई–नीलामी अपने वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर मेसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री भरणी कृष्णा–9948162222 (हेल्पलाइन नंबर: सपोर्ट लैंडलाइन नंबर: 124 4302020/2021/2022/2023/2024,सपोर्ट मोबाइल नंबर: 917291981124/25/26 और ई–मेल:support@bankeauctions.com/andhra@c1india.com) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4. सुरक्षित लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व, दावे/अधिकार/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट : www.herohousingfinance.com पर प्रकाशित हैं। **6.संपत्ति के विवरण और संपत्ति के दौरे के लिए श्री इरशाद अली/ershad.ali@herohfl.com /8802270415 8802270415 एवं शेखर सिंह/9711522275/ shekhar.singh@herohfl.com पर संपर्क करें।** 7.संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 21–फरवरी–2026को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 30 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरगणों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व तिथि के अनुसार नियत चार्ज एवं व्ययों के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार कुल बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आपसे ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमि.

दिनांक:24.01.2026
स्थान: दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
श्री शेखर सिंह,मोबाइल–9711522275
ईमेल`hekhar.singh@herohfl.com

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L20211CH1991PLC011732
पंजीकृत कार्यालय: एससीओ–14, सेक्टर–7–सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019
ई–मेल : cs@stylam.com, वेब : htpps//www.stylam.com

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
1.	प्रचालनों से कुल आय	27,208.16	25,630.10	84,917.08	76,614.39	1,03,258.91
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारणों मदों से पूर्व)	5,927.91	4,246.72	15,136.86	12,717.32	16,489.77
3.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारणों मदों के पश्चात)	5,927.91	4,246.72	15,136.86	12,717.32	16,489.77
4.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	4,601.55	2,951.80	11,162.52	9,229.08	12,187.29
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेतु लाभ/(हानि) से मिलकर]	4,602.96	2,974.31	11,168.15	9,142.41	12,110.34
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40
7.	आय प्रति शेयर :					
1.	बेसिक	27.16	17.55	65.90	53.94	71.46
2.	डाइल्यूटेड	27.16	17.55	65.90	53.94	71.46

टिप्पणी:

1. स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः 23 जनवरी, 2026 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित की गई।
2. उपरोक्त, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत दायर किए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.stylam.com) पर उपलब्ध है।
3. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की जानकारी निम्नानुसार है:–

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
1.	प्रचालनों से कुल आय	27,205.50	25,628.36	84,911.11	76,609.51	1,03,252.93
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारणों मदों से पूर्व)	5,925.25	4,244.95	15,131.26	12,712.53	16,483.99
3.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	4,598.89	3,040.90	11,156.92	9,285.90	12,183.02

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ह. /–
जगदीश गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00115113

तिथि : 23.01.2026
स्थान : चण्डीगढ़

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013
सर्किल कार्यालय : 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

माँग सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) (''कथित कर्जदार(रों)'') को उन्हें जारी की गयी सम्बन्धित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशियों को अदा करने को कहते हुए उन्हें मांग सूचनाएं जारी की हैं जो नीचे दी गयी हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस प्रकाशन के माध्यम से एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सीजीसीएल को नीचे उल्लिखित राशियों तथा भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे उल्लिखित तिथियों से भावी प्रयोज्य ब्याज जो कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों के साथ पठित ऋण अनुबन्ध के तहत देय हैं, अदा करने के लिए कहते हुए मांग सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित आस्तियों को क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा सीजीसीएल के पास बंधक रखा गया है :

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या **LNMEPAN000041242** (पुराना) 80500005915580 (नया) (पानीपत शाखा) श्री राम कुमार सैनी (कर्जदार) श्रीमती माया देवी उर्फ माया (सह–कर्जदार)	13.01.2026 रु. 21,82,691/– (06.01.2026 तक)	मकान नंबर 900 की समस्त संपत्ति (भूमि एवं भवन),क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, रेक्ट नंबर 63 का भाग, किला नंबर 8(7–16), 11/3 (5–3), 12(7–11), 19(8–9), पट्टी मखदूमजादगान में स्थित, वार्ड नंबर 5, देवी मंदिर रोड, विजय नगर, नूरवाला, तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा – 132103 **सीमाएँ: पूर्व**–राजिंदर का मकान, **पश्चिम**–गली, उत्तर–गली, **दक्षिण**–दूसरे का प्लॉट
2.	(ऋण खाता संख्या **LNCGCPANTL0000004619** (पुराना) 80400005474874 (नया) (पानीपत शाखा) श्री मुकेश (कर्जदार), श्री संजीव कुमार, मैसर्स श्री राम फास्ट फूड अपने प्रोपराइटर के माध्यम से (सह–कर्जदार)	13.01.2026 रु. 20,52,661/– (06.01.2026 तक)	खेवट नंबर 608, खत्ता नंबर 713 की समस्त संपत्ति (भूमि एवं भवन), क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, 28 कनाल 11 मरला जमीन में 2/571 भाग, सफीदों में स्थित, एमसी सफीदों की एमसी सीमा के भीतर, पानीपत रोड, टीटू खेड़ी मोड़, तहसील सफीदों, जिला जींद, हरियाणा – 126112 **सीमाएँ: पूर्व**–दूसरा प्लॉट, **पश्चिम**–दूसरी संपत्ति, **उत्तर**–100 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण**–17 फीट चौड़ी गली

यदि उक्त कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध लागतों तथा परिणामों के लिए कथित कर्जदारों के पूर्ण जोखिम पर कार्यवाही करेगा। कथित कर्जदारों को अधिनियम के उपर्युक्त आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य माध्यम से सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करता है तो वह कथित अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कैद तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्थान : हरियाणा
तिथि : 24.01.2026

ह./– (अधिकृत प्राधिकारी)
कृते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

संयुक्त ई-नीलामी बिक्री सूचना

बेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में)

CIN: U30007KA1987PLC023168
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. एस2, दूसरी मंजिल, नं.13 लोहान रीजेंट, सुंदरमूर्ति रोड, कॉक्स टाउन, बैंगलोर, 560005
परिसमापक का पता : नं. 12, रहेजा चैम्बर्स, म्यूजियम रोड, बैंगलोर-560001.
ईमेल : basecliquidator@gmail.com, ipkpraju@gmail.com

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत संयुक्त ई-नीलामी बिक्री नोटिस

यह संयुक्त ई-नीलामी बिक्री नोटिस दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32) के तहत बिक्री के लिए है। साथ ही प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 **("सरफेसी अधिनियम, 2002")** के नियम 8 (6) के प्रावधान और परिशिष्ट-के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

यह संयुक्त ई-नीलामी बिक्री नोटिस कॉर्पोरेट देनदार और व्यक्तिगत गारंटर सहित आम जनता को दी जाती है, जिसके तहत बेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट देनदार") की कंपनी इकाई / संपत्तियों को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 32 (एफ) के तहत एक चालू कंसर्न आधार या ''बिक्री के तरीके के आधार पर बेचा जाना प्रस्तावित है, जो दिवाला और दिवालियापन, 2016 **("आईबीसी")** की धारा 35 (एफ) के तहत परिसमापन संपत्ति का हिस्सा जिसे दिवाला और दिवालियापन के विनियमन 33 के साथ पढ़ा पठित भारतीय दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016) (परिसमापन विनियम) परिसमापक द्वारा गठित, आईबीसी और परिसमापन विनियमों के विनियम 32 के तहत संयुक्त रूप से कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर की भूमि जो कि सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित / फ्रीहोल्ड जो कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्लॉट एवं मशीनरी का अभिन्न अंग है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परिशिष्ट और नियम 6 प्रावधान के साथ पठित **"जहां है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार पर ई-नीलामी मंच के माध्यम"** से **"ऑनलाइन ई-नीलामी"** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

निपटान के लिए उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। नीचे दी गई तालिका में बताई गई संपत्तियों की बोली ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) की वेबसाइट : https://baanknet.com/ के माध्यम से लगाई जाएगी।

संभावित बोलीदाता द्वारा अपेक्षित प्रपत्र शपथ-पत्र घोषणा आदि प्रस्तुत करना।	13.02.2026 तक
साइट विजिट / निरीक्षण तिथि	13.02.2026 या उससे से पूर्व
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	13.02.2026 बैंकिंग समय की समाप्ति तक
ई-नीलामी की तिथि और समय वृद्धिशील बोलियों के लिए 5 मिनट का असीमित विस्तार	16.02.2026 प्रातः10 बजे से सायं.5 बजे तक (क्र.सं.1)
उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा	19.02.2026

बिक्री का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

क्र.	ई-नीलामी में बिक्री के लिए निम्नलिखित समूह / लॉट संपत्तियां उपलब्ध हैं।	आरक्षित मूल्य (आईएनआर) (करोड़ में)	ईएमडी (आईएनआर) (करोड़ में)
1.	**आईबीसी कोड, 2016 और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत,** बेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीडी की भूमि और भवन जोकि खसरा सं. 357/192/140/2 जिसका **29.04** बीघा और सीडी की संपत्ति व्यक्तिगत गारंटर श्री राकेश शर्मा की फैक्ट्री परिसर और आस-पास की जमीन **85.06** बीघा खसरा नंबर 357/190/140/5, 357/190/140/3, 357/190/140/1, 357/190/140/2 गांव ओचघाट, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश ।	32.40	3.24

ई-नीलामी में वृद्धिशील बोलियों के लिए 5 मिनट का असीमित विस्तार होगा।

बोली वृद्धि राशि क्र.सं. 1 के लिए 20 लाख रुपये है।

आईबीसी 2006 और सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत, बंधक संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, सीडी से संबंधित और गिरवी रखी गई फ्री होल्ड संपत्ति, श्री राकेश शर्मा (बैंकों के संघ के लिए व्यक्तिगत गारंटर) से संबंधित राशि रु. 36,63,58,49,663.76 की वसूली हेतु और ब्याज और शुल्क सहित व्यक्तिगत गारंटर के सीडी एनसीएलटी प्रवेश दिनांक 19.12.2023 के अनुसार

ई-नीलामी के नियम और शर्तें : 1. नीलामी बिक्री आईबीसी, 2016 और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत परिसमापक और अधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त ई-नीलामी के माध्यम से की जा रही है। यह संयुक्त ई-नीलामी / बोली केवल वेबसाइट https://baanknet.com/ के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगी। 2. नीलामी बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए बोलीदाता www.basecorp.in की वेबसाइट और साथ ही सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home पर बोली दस्तावेजों के लिए, नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण / बोली फॉर्म प्राप्त करने लिए जा सकते हैं। 3. बोलीदाता संयुक्त ई-नीलामी में अपने स्वयं के कार्यालयों / अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाकर भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था प्रत्येक बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। परिसमापक / अधिकृत अधिकारी / सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याएँ, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली की विफलता आदि संपत्ति / बिक्री से संबंधित के लिए कृपया श्री कोंडुरु प्रशांत राजू, लिक्विडेटर से +91-9980591019 पर या ई-मेल basecliquidator@gmail.com पर संपर्क करें सुरक्षित लेनदारों व्यक्तिगत गारंटर से संबंधित के लिए कृपया श्रीमती जान्हवी माने से +91-8655876340 या ई-मेल janhavi.mane@phoenixarc.co.in पर संपर्क करें और / या श्री बृज किशोर मोबाइल से +91-9828528909 या ई-मेल brijkishore.bilochi@idbi.co.in पर ई-मेल पर संपर्क करें 4. बोलीदाता नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति के विवरण की पुष्टि करने / बोली फॉर्म प्राप्त करने के लिए डेटा रूम के लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। 5. ई-नीलामी ऊपर उल्लिखित दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी, जब ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति को ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से **''जैसा है जहां है'' और ''जैसा है जैसा है और ''बिना किसी सहारे के''** के आधार पर बेचा जाएगा। 6. सभी इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल पर बोलीदाताओं के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा पूर्वोक्त तिथि और समय पर संयुक्त ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 7. संयुक्त ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेता/ बोलीदाताओं को सुरक्षित परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण और पैनकार्ड, आधार कार्ड, कंपनी के मामले में बोर्ड संकल्प और पते के प्रमाण की सत्या प्रतियां निविदा दस्तावेजों में विस्तृत शर्तों के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित अंतिम तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करनी होंगी। 8. संभावित / इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और प्रस्तुत बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। 9. संभावित बोलीदाताओं को यह वचन देना होगा कि वे आईबीसी कोड, 2016 की धारा 29ए के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं, जहां तक लागू हो और यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। 10. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अनुसार, सफल क्रेता/ बोलीदाता को वस्तु के लिए अपने प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोली दस्तावेज में उल्लिखित खाते में ऊपर उल्लिखित नीलामी की तिथि को बैंकिंग घंटों के बंद होने से पहले या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा, जिसकी जमा राशि को परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए ऐसा न करने पर बिक्री विफल मानी जाएगी और उक्त सफल क्रेता / बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। 11. ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी संयुक्त ई-नीलामी के समापन के 30 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 12. खरीद मूल्य की शेष राशि सफल क्रेता / बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी के दिन से तीसवें (30वें दिन या उससे पहले उक्त सुरक्षित संपत्ति या लिखित रूप में तय की गई विस्तारित अवधि में देय होगी। चूक की स्थिति में तब तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी। 13. बोली स्वीकार होने के बाद बोलीदाताओं के नामों में कोई वृद्धि / हटाना / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण के समय प्रस्तुत बोलीदाता (ओं) के नाम पर ही इस उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। 14. संयुक्त ई-नीलामी के किसी भी चरण में परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के लिए इस नोटिस के किसी भी नियम व शर्त को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली / प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार / संशोधित / रद्द कर सकते हैं या नीलामी को स्थगित कर सकते हैं। 15. सफल क्रेता / बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित / सुपुर्द करवाने के लिए आवश्यक कोई भी वैधानिक बकाया कर देय शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 16. किसी भी समय संपत्ति के लिए देय सभी वैधानिक / गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें मूल्यांकन, शुल्क, बकाया, शुल्क आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता की ही जिम्मेदारी होगी। 17. बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाना पूरी तरह से सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी सफल क्रेता / बोलीदाता अपने पक्ष में अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को देय किसी भी लागत खर्च / फीस / प्रभार आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा हस्तांतरण के संबंध में राज्य कानून / नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्रको जल्द से जल्द पंजीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा क्रेता को पंजीकरण में देरी का कारण बताते हुए परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी को अनुरोध पत्र देना होगा। 18. बिक्री के पंजीकरण के लिए आवश्यक संबंधित प्राधिकारियों से एनओसी प्राप्त करना सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी है, जिसमें लागू शुल्क, करों का भुगतान भी शामिल है। आवश्यक मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी शुल्क, शुल्क (जिसमें एनओसी शुल्क, बिजली, पानी, रखरखाव शुल्क और सफल बोलीदाता के पक्ष में उक्त संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कोई भी शुल्क शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) सफल बोलीदाता द्वारा अपने स्वयं के खर्च, प्रयास और देवताओं पर वहन किया जाना चाहिए। 19. बिक्री नोटिस में उल्लिखित संयुक्त ई-नीलामी के तहत सुरक्षित परि, परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से आग या चोरी या अन्य दुर्घटनाओं से नुकसान या क्षति और अन्य जोखिम सहित सभी मामलों में सफल खरीदार के एकमात्र जोखिम पर रहेगी। सफल बोलीदाता किसी भी आधार पर बिक्री को रद्द करने का हकदार नहीं होगा। 20. उधारकर्ता / बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, नियम 8 खंड (6) के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 32 (एफ) जो दिवाला और दिवालियापन, 2016 की धारा 35 (एफ) के तहत परिसमापन संपदा का हिस्सा (**''आईबीसी''**) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 33 और विनियम 32 के साथ पठित (**''परिसमापन विनियम''**) आईबीसी के तहत उपर्युक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में परिसमापक द्वारा गठित 21. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्ति पर कोई भार नहीं है, सिवाय ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित यदि कोई हो तो इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित परिसंपत्ति के शीर्षक और सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करेंगे नीलामी विज्ञापन परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी की किसी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। परिसमापक / प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / देय के लि